


क्र. ५/ ११४६/०६
सांस्कृतिक विभाग, पुणे
पुणे विभाग, पुणे
४५-२, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड
राज्य शा. पुणे-१
दिनांक ०१/११/०६

प्रमाणपत्र

तद्वर प्रमाणपत्रान्वये प्रमाणित करण्यांत येत आहे की, श्री. जैन
विद्या प्रतारक मंडळ चिंचवड गांव पुणे ह्यांच्यात या कार्यालयात
रफ्तार ११८ [पुणे] याकडून दि. १५-१-१९५३ रोजी रिततर
नोंदविण्यांत आलेला आहे.




धर्मादाय उप आयुक्त
पुणे विभाग, पुणे.




मुख्याध्यापक
श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
व ज्युनिअर कॉलेज
३/अ, प्राधिकरण, लिगडी, पुणे-४११ ०४४.

SEAL

Certificate of Registration of Society.

ACT XXI OF 1860

No. 1211 of 1942 1943.

I hereby certify that the Jain Vidya Prasarak Mandal, Chinchwad has this day been registered under the societies Registration Act XXI of 1860.

Given under my hand at Bombay this Seventeenth day of March one Thousand Nine Hundred and Forty Three.

SEAL sd/-x-x-x Registrar of Companies.

(True Copy)

Certificate of Registration No. 9690

It is hereby certified that the public Trust described below has this day been duly registered under the Bombay Public Trust Act, 1950.

(Bombay XXIX of 1950) at the public Trusts Registration office, Poona Region, Poona.

Name of Public Trust:- Shri Jain Vidya Prasarak Mandal Chinchwad, Poona.

Number in the Register of Public Trusts : 1118

Certificate issued to shri Umeshmalji Wesharimalji Pungalija.

Given under my hand this 16 th day of Janu sd/-XXXXX

Assistant Charity Commissioner Poona Region, Poona.

PRINCIPAL SANGHVI KESHRI COLLEGE OF ARTS AND COMMERCE CHINCHWAD PUNE-411019

TRUE COPY TRUE COPY

Officially Principal SANGHVI KESHRI COLLEGE OF ARTS, COMMERCE & SCIENCE CHINCHWAD, PUNE


TRUE COPY

Officially Principal SANGHVI KESHRI COLLEGE OF ARTS, COMMERCE & SCIENCE CHINCHWAD, PUNE - 411 019

Officially Principal SANGHVI KESHRI COLLEGE OF ARTS, COMMERCE & SCIENCE CHINCHWAD, PUNE - 411 019

आजरी जनरल सेक्रेटरी श्री. जैन विद्या प्रसारक मंडळ

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक



श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल
 चिंचवड - पुना - ३३
 की
 नि य मा व ती
 पृष्ठ संख्या - ८

ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी
TRUE COPY

[Signature]
 ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी
 श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल
 चिंचवड, पुणे - ४११ ०३३.

TRUE COPY

[Signature]
 J.B. DUGAD
 NOTARY GOVT. OF INDIA
 CHINCHWAD PUNE

[Signature]
मुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
 व उच्चमिडर कॉलेज
 २७/अ, प्राथिकरण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.



- २ -

॥ पदमं नामं तजो दया ॥

श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल
विंपवड, पूना ३३.

[स्थापना ता. ८/९/१९३७, रजिस्ट्रेशन ता. १७/३/४३]


— संघीत संस्थाये —

श्री अरुणेंद्र जैन विद्यालय
श्री जैन अस्तित्वगृह
श्री डाकलिया ट्रस्ट [स्वेती]
मुनील आरोग्य भवन
श्री बाणिया प्राथमिक जैन विद्या मंदिर
विशुविहार.

नि य मा ष ती

दिनांक १-८-६३ की जनरल सभा में प्रस्ताव नं. ५२ द्वारा मंजूर
राही :- श्री. जे. संघवी — मानदनेनी.

... २ ...



सुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
वे ज्युनिअर कॉलेज
२७/अ, प्राधिकरण, विनाडी, पुणे-४११ ०४४.

श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल - विधान -

- १. इस मंडल का नाम :- श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल, विषयवस्तु देता रहेगा ।
- २. उद्देश्य और कार्य :-
 - १. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा का प्रवर्धन करना व उसके लिये वातावरण, प्राथमिक शाला, हायरस्कूल, कनिष्ठ एवं कॉलेज की स्थापना करना ।
 - २. औद्योगिक, पारिक, तांत्रिक, खेली, शास्त्रीय, और व्यापारी शिक्षण की व्यवस्था करना ।
 - ३. धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक इती प्रकार अर्थ मागधी व संस्कृत आदि प्राचिन भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था करना तथा ऐसे मार्गों का अवलंब करना जो मंडल के उद्देश्यों को पुरक हो ।
 - ४. बुक, पेन, पेडा, दान, बधीस, घेरिटी, स्पडाउमेट, आदिदु प्यारा उपर लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्न इकठ्ठा करना, कई डिस्ट्रिबुट निष्ठातना और योग्य व्यय करना ।
- ३. कार्यालय :- मंडल का मुख्य कार्यालय विषयवस्तु में रहेगा ।
- ४. कार्यक्षेत्र :- मंडल का कार्यक्षेत्र इन्दौर महाराष्ट्र ही रहेगा ।

- नि य मा व ती -

- १. सदस्य :- मंडल के सदस्य निम्न प्रकार के होंगे
- १. आम्नारत्तम -- एक मुक्त या पाप तात में -- रु. २५०० देवेवाते
- २. आम्नपदाया -- -- रु. १००० ..
- ३. महाप्यज्जा -- -- रु. ५०० ..


 मुख्य कार्यालय
 श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर सांख्यिक
 व ज्युनिअर कॉलेज
 २७/अ, आसिखण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.

४. विद्यार्थी - एक प्रश्न या एक साल में - रु. १०० देनेवाले .
५. आजीवन सदस्य - जो २० साल का आजी सेवा वरमा को दे, इसका पुनाव आजीवन सदस्यों की सूचना पर प्रबंध समिती करेगी ।
६. मानक सदस्य - संसद के कामों में विद्यार्थी लेनेवाले और बिना पंदा लिये विनडी सहाय गणपिरा संसद पाकता है ।
७. वार्षिक या साधारण सदस्य - प्रतिवर्ष रु. १० देनेवाले .
८. पुराने केसियों के सदस्य काम रखे ।

- व्यवस्था -

वार्षिक साधारण सभा :-

१. उपरोक्त नं. ५ तक लिये हुये सभी सदस्यों की हर साल एक वार्षिक सभा होगी ।
२. संसद का वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा ।
३. वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिये १५ दिन पूर्व लेखी सूचना देनी होगी ।
४. वार्षिक वर्ष समाप्त होने के ६ महीने के अंदर वार्षिक साधारण सभा बुलानी चाहिये ।
५. वार्षिक साधारण सभा का कार्य और अधिकार :-

१. साधारण सभा की सम्मती से अध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी २, कोषाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, पदाधिकारीयों एवं कार्यकारीपी के अन्य ३१ सदस्यों का तीन-वर्ष के लिये पुनाव करना ।
२. प्रबंध समिती के १५ सदस्यों का तीन वर्ष के लिये पुनाव करना । कार्याध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तीन मंत्री व कार्यकारीपी के सदस्यों में से ही प्रबंध समिती के सदस्य होंगे ।

7/11/2020
मुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
व ज्युनिअर कॉलेज
२१४/अ, प्राधिकरण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.

- साधारण तथा का बोरम २१ सदस्यों का रहेगा ।
 ७- गत वर्ष का हिसाब और अक्षयता तथा पाच वर्ष के लिये अनुमान
 पत्रक मंजूर करना ।
 ८- सभी प्रश्न साधारण तथा में बहुमत से हल होंगे ।
 ९- हिसाब निरीक्षण की नियुक्ति व पुस्तक निधिगत करना ।
 १०- मंडल के लिये जमीन जागदाद बेचने, खरीदने किराये से लेने, इमास्त
 बांधने, डिपॉजिट बैंक और डिपॉजिट निगलने की स्वीकृती देना ।
 ११- मानद सदस्यों की नियुक्ति करना ।
 १२- प्रबंध समिती की विचाररिख पर मंडल के आजीवन सदस्य की सदस्यता
 खारिज करना ।
 १३- आजीवन सदस्य की नियुक्ति को मान्यता देना ।
 १४- आवश्यकता नुसार समितीयों का निर्माण करना ।
 १५- मंडल के विधान में सुधार और फेरबदल उपस्थित सदस्यों के बहुमत
 से करना ।
 १६- अध्यक्ष को Costing Vote देने का अधिकार होगा ।
 १७- वसतिगृह की भोजन फीस में परिवर्तन करना ।
 १८- कार्यकारीपी और प्रबंध समिती के अधिकारों के अलावा सभी अधिकार
 जनरल सभा को रहेंगे ।

कार्यकारीपी सभा के कार्य और अधिकार :-

- १- वार्षिक रिपोर्ट और हिसाब प्रसिद्ध करना ।
- २- मंडल के हित के दृष्टि से आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना ।
- ३- साल में दो तक सभा बुलाना ।

....६....

M. Madh
मुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
 व. प्रभुनिवास कॉलेज
 २५१/६१, अक्षयवर्ण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.

- 6 -

- 8- प्रबंध समिति द्वारा रिक्तियों की हुई स्थायी कोष की रकम को धातु कामकाज के लिये खर्च करने को मान्यता देना ।
- 9- अलग अलग स्थानों पर सेव्याये स्थापित करना मान्यता देना ।
- 10- वार्षिक रिपोर्ट तथा अनुमान पत्र तैयार करना ।
- 11- कर्म रपडा करना ।
- 12- बननेवाले सदस्यों की सदस्यता स्वीकार करना ।
- 13- इस्तीफा या अन्य कारणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति ।
- 14- मंडल की संस्थाओं की शिक्षा पध्दति पर नियंत्रण रखना ।
- 15- मंडल के सभी संस्थाओं के कागजात आदि देखने का अधिकार होना ।
- 16- कार्यकारीपी के कम से कम 2/3 सदस्यों की मांग आनेपर अध्यक्ष या कार्यध्यक्ष को 15 दिन के अंदर तथा मुतानी होगी ।

प्रबंध समिति के कार्य व अधिकार :-

- 1- प्रबंध समिति की वर्ष में कम से कम चार सभाये होगी ।
- 2- प्रबंध समिति की सभा बुलाने के लिये तीन दिन पूर्व लेखी सूचना देना होगी ।
- 3- प्रबंध समिति की गफसंख्या कम से कम पांच होगी ।
- 4- साधारण सभा और कार्यकारीपी सभा के आदेशानुसार कार्य करना ।
- 5- वार्षिक साधारण सभा और कार्यकारीपी सभा बुलाना ।
- 6- मंडल व उसकी शाखाओं का सब कार्य व दैनिक व्यवस्था देखना ।
- 7- कार्यकारीपी के आदेशानुसार कर्म और डिपॉजिट स्वीकार करना ।
- 8- मंडल व उसकी शाखाओं के काम के लिये वैतनिक नौकर की नियुक्ति करना, कम करना, वैतन निर्दिष्ट करना आदि ।
- 9- स्कूल की फीस निर्दिष्ट करना व उसमें परिवर्तन करना ।

... 13 ...

मुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
व ज्युनियर कॉलेज
अस/अ, प्राधिकरण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.

१०. पतंगगृह में पिछारियों को प्रवेश देना व कार्य छात्रकृति देना ।
११. पतंगगृह व स्कूल के लिये नियम बनाना ।
१२. वैतनिक पदाधिकारियों के कार्य व अधिकार निश्चित करना ।
१३. मंडल की स्थापन, लेगम की व्यवस्था देना ।
१४. मंडल के फंडस् की व्यवस्था करना ।
१५. मंडल को मिले हुए रकमों की व्यवस्था करना ।
१६. कितने भी संशुद्धि देना ।
१७. कार्यकारीपी व साधारण सभा लेना ।
१८. दाता के संधर्ष दान स्वीकार करने पर विचार करना ।
१९. लक्ष्य लिये हुए दान का दाता के इच्छानुसार विनियोग करना ।
२०. प्रबंध समिती के अधिकारियों के अधिकार निश्चित करना ।
२१. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्तता के लिये उपाय योजना करना व उसके लिये आवश्यक कार्य करना । कमेटीया नियुक्त करना ।

शर्त :-

१. सत्र तरह की जायदाद और कोष सामुदायिकता से मंडल का गिना जायगा । किसी भी श्रेणी व कोई भी सदस्य का उत्तर व्यवस्था अधिकार न रहेगा ।
२. संस्था के दो फंड होंगे १. स्थायी २. पाबू-
३. स्थायी फंड में संस्था की स्थापन मिलीजगत का समावेश होगा ।
४. पाबू फंड में संस्था की मिलनेवाले धंधे, बुल्ल, फीस, आदि का समावेश होगा और स्थायी फंड की आमदानी पाबू फंड में ही जायेगी ।
५. दाताओं द्वारा जिन रकमों तथा अन्य वस्तुओं का विनियोग करना बताया गया वेसी रकमों और स्थायी जमीन जायदाद का उसी तरह से

मुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
व ज्युनियर कॉलेज
२७/अ, प्राधिकरण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.

- 6 -



- उपयोग करना ।
- ११. बोधाध्यक्ष व प्रधानमंत्री को बैंको और पोस्ट से मंडल का समाता रखने का अधिकार होगा ।
- १२. सेक्रेटरी या कार्यवित्र और अधिकार :-
संस्था के हित की दृष्टी से प्रेसीडेन्ट और कार्याध्यक्ष की सूचनाजुसार कार्य करना ।



TRUE COPY

श्री जेन निवा प्रसारक मंडल
विषय, पुणे - ४११ ०११.



TRUE COPY

J.B. DUGAD
NOTARY GOVT. OF INDIA
PIMPRI-CHINCHWAD P.R.D.

मुख्याध्यापक

श्री गुरु गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक
व ज्युनिअर कॉलेज
२७/अ, प्राधिकरण, निगडी, पुणे-४११ ०४४.